न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 57 / 2021

1. कम्पूरी देवी पत्नी रामबाबू जाति जाटव निवासी ग्राम नयावांस तहसील बसेड़ी जिल धौलपुर
---- वादिया

बनाम

1. रामदेई पत्नी हरगोविन्द
2. राजवीर पुत्र हरगोविन्द
3. बहादुर पुत्र हरगोविन्द
4. संतोष कुमार पुत्र हरगोविन्द
5. सुनील पुत्र हरगोविन्द
6. जयश्री पुत्री हरगोविन्द

(1 से 6) जातिगण जाटव निवासीगण मिरजापुर सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर राजस्थान

7. नत्था पुत्र चोखरिया (मृतक)

7/1. शीला पत्नी स्व0 नत्था
7/2 होरीलाल
7/3 अमित
(7/2, 7/3) पुत्रगण स्व0 नत्था
7/4 रेखा
7/5 रचना
7/6 राजकुमारी
7/7 राधा
(7/4 से 7/7) पुत्रीयान स्व0 नत्था

(7/1 से 7/7) जातिगण जाटव निवासीगण मिरजापुर सरांनीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर राज0

8. मस्सो पुत्र चोखरिया जाति जाटव निवासी मिरजापुर सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर
9. कालीचरण पुत्र नेकसिया जाति जाटव निवासी मिरजापुर सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर
10. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार धौलपुर

---- प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 17.05.2024

वादिया ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 30.11.2021 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 09.12.2022 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 176 दिनांक 07.03.2024 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ता

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1421 रकवा 0.4932 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1429 रकवा 0.1517 हैक्टेयर स्थिति ग्राम मिरजापुर तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1 शीला पत्नी नत्था, होरीलाल, नबालिगान अमित पुत्रान व रेखा, रचना, राजकुमारी, राधा, पुत्रीयान पिसरान नत्था जाति जाटव हिस्सा बराबर सा0देह खातेदार	1421/1	0.0822है0	चा0प्र0
2 कम्पूरी देवी पत्नी रामबाबू जाति जाटव हिस्सा पूर्ण साकिन नयावास जाटव वस्ती बसेडी धौ0 खातेदार	1421/4	0.0822है0	चा0प्र0
	1429/1	0.0253 है0	चा0प्र0
3 रामदेई पत्नी हरगोविन्द, संतोषकुमार, सुनील, राजवीर, बहादुर पुत्रान व जयश्री पुत्री पिसरान हरगोविन्द जाति जाटव हि0ब0 सा0देह खातेदार	1421/3	0.0822है0	चा0प्र0
	1429/5	0.0253है0	चा0प्र0
4 कालीचरन पुत्र नेकसिया जाति कोली हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार	1421/1	0.0822है0	चा0प्र0
	1421/2	0.0822है0	चा0प्र0
	1429/3	0.0252है0	चा0प्र0
	1429/4	0.0252है0	चा0प्र0
	1429/6	0.0252है0	चा0प्र0
5 मस्सो पुत्र चोखरिया जाति जाटव हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार	1421/5	0.0822है0	चा0प्र0
	1429/2	0.0253है0	चा0प्र0

कुल किता 12 रकवा 0.6449 हैक्टेयर बाकै ग्राम मिरजापुर तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 5.16 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 5 रूपये 16 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 10 रूपये 32 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसलभुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(मुहर: सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर (राज0))

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BU 028282

न RAJASTHAN

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

जे अदालत : सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)

करण संख्या : 57 / 2021

1. कम्पूरी देवी पत्नी रामबाबू जाति जाटव निवासी ग्राम नयावांस तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर

----- वादिया

बनाम

1. रामदेई पत्नी हरगोविन्द
2. राजवीर पुत्र हरगोविन्द
3. बहादुर पुत्र हरगोविन्द
4. संतोष कुमार पुत्र हरगोविन्द
5. सुनील पुत्र हरगोविन्द
6. जयश्री पुत्री हरगोविन्द

जातिगण जाटव निवासीगण मिरजापुर सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर राजस्थान

7. नत्था पुत्र चोखरिया (मृतक)
   - 7/1. शीला पत्नी स्व0 नत्था
   - 7/2 होरीलाल
   - 7/3 अमित

     पुत्रगण स्व0 नत्था
   - 7/4 रेखा
   - 7/5 रचना
   - 7/6 राजकुमारी
   - 7/7 राधा

     पुत्रीयान स्व0 नत्था

   जातिगण जाटव निवासीगण मिरजापुर सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर राज0
8. मस्सो पुत्र चोखरिया जाति जाटव निवासी मिरजापुर सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर
9. कालीचरण पुत्र नेकसिया जाति जाटव निवासी मिरजापुर सरानीखेड़ा तहसील व जिला धौलपुर

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

10. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार धौलपुर ——— प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ भारती भारद्वाज (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री लक्ष्मीनारायण बघेला एडवोकेट मिनजानिब मुददई एवं श्री सुरेश कटारा एडवोकेट मिनजानिब मुदयालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी स्थिति ग्राम मिरजापुर तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	
1	शीला पत्नी नत्था, होरीलाल, नबालिगान अमित पुत्रान व रेखा, रचना, राजकुमारी, राधा, पुत्रीयान पिसरान नत्था जाति जाटव हिस्सा बराबर सा0देह खातेदार	1421 / 1	0.0822है0	चा0प्र0
2	कम्पूरी देवी पत्नी रामबाबू जाति जाटव हिस्सा पूर्ण साकिन नयावास जाटव वस्ती बसेडी धौ0 खातेदार	1421 / 4	0.0822है0	चा0प्र0
		1429 / 1	0.0253 है0	चा0प्र0
3	रामदेई पत्नी हरगोविन्द, संतोषकुमार, सुनील, राजवीर, बहादुर पुत्रान व जयश्री पुत्री पिसरान हरगोविन्द जाति जाटव हि0ब0 सा0देह खातेदार	1421 / 3	0.0822है0	चा0प्र0
		1429 / 5	0.0253है0	चा0प्र0
4	कालीचरन पुत्र नेकसिया जाति कोली हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार	1421 / 1	0.0822है0	चा0प्र0
		1421 / 2	0.0822है0	चा0प्र0
		1429 / 3	0.0252है0	चा0प्र0
		1429 / 4	0.0252है0	चा0प्र0
		1429 / 6	0.0252है0	चा0प्र0
5	मस्सो पुत्र चोखरिया जाति जाटव हिस्सा पूर्ण सा0देह खातेदार	1421 / 5	0.0822है0	चा0प्र0
		1429 / 2	0.025[illegible]है0	चा0प्र0

कुल किता 12 रकवा 0.6449 हैक्टेयर बाकै ग्राम मिरजापुर तहसील व जिला धौलपुर मुजरा लगान 5.16 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

दशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 17.05.2024 को सुनाया आज दिनांक 21.05.204 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर (मु0)
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)